

1
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 17/601

रामनिवास आत्मज श्री जगन्नाथ जाति लश्करी निवासी ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलान्त

बनाम

1. बद्रीलाल आत्मज श्री अमर लाल ।
2. दशरथ आत्मज श्री अमर लाल ।
3. सुमित्रा बाई पुत्री श्री अमर लाल ।
4. चन्द्रकला बाई पुत्री श्री अमर लाल ।
5. कमलेश बाई पुत्री श्री अमर लाल ।
6. शांति बाई बेवा अमर लाल ।
7. चुन्नी लाल आत्मज श्री अमर लाल ।
8. रामचरण आत्मज श्री खेमचन्द ।
9. लक्ष्मी बाई पुत्री श्री खेमचन्द ।
10. संतरा बाई पुत्री श्री खेमचन्द जाति लश्करी निवासीगण ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

—रेसपोडन्ट

अपील संख्या : 18/235

रामकिशन आत्मज श्री जगन्नाथ जाति लश्करी निवासी ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलान्त

बनाम

1. बद्रीलाल आत्मज श्री अमर लाल ।
2. दशरथ आत्मज श्री अमर लाल ।
3. सुमित्रा बाई पुत्री श्री अमर लाल ।
4. चन्द्रकला बाई पुत्री श्री अमर लाल ।
5. कमलेश बाई पुत्री श्री अमर लाल ।
6. शांति बाई बेवा अमर लाल ।
7. चुन्नी लाल आत्मज श्री अमर लाल ।



- रामचरण आत्मज श्री खेमचन्द ।
 लक्ष्मी बाई पुत्री श्री खेमचन्द ।
 10. संतरा बाई पुत्री श्री खेमचन्द जाति लश्करी निवासीगण ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
 11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

—रेस्पोंडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री रविन्द्र कुमार खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।
 2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाष रेस्पोंडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 06.08.2018

1. अपीलान्त द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा (लोक अदालत कैम्प कोर्ट दीगोद) द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.01.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.03.2017 के विरुद्ध पेश की गई हैं ।
2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से एवं एक अपील प्राथमिक डिक्री की होने तथा दूसरी अपील अंतिम डिक्री की होने से तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय दोनों पत्रावलियों में अगल - अलग संलग्न किया जावे ।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोंडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रूग्धी तहसील दीगोद जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 348/69 की 2.07 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 से 5 के शामिल होती खाते में दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 1 से 4 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 5 का 1/3 हिस्सा है तथा वादीगण अपने 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । उक्त भूमि शामिल होती खाते की होने से कड़ता लगान जमा कराने में विवाद उत्पन्न होता है ।
4. अतः वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी वाके ग्राम रूग्धी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 348/69 रकबा 2.07 हैक्टर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 से 5 के मध्य होल्डिंग विभाज कर अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी वादीगण को उनके 1/3 हिस्से की भूमि को अलग कियका जाकर वादीगण के अलग खाते में दर्ज किया जावे ।



अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.01.2016 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्राथमिक डिक्री के बाद अपने निर्णय दिनांक 10.03.2017 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.01.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.03.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 5 रामकिशन अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में उक्त दोनों अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट को बिना सूचना दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होने से उक्त प्राथमिक डिक्री निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का 1/3 हक हिस्सा निहित है और अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट के मध्य उक्त आराजीयात का अपने पूर्वजों के समय से ही आपसी पारिवारिक सहमति से विभाजन हो रहा है, उक्त विभाजन अनुसार पक्षकारान अपने- अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य उनके पूर्वजों के समय से ही विभाजन हो रखा है । रेस्पोजेन्ट क्रम 1 से 10 आपस में कोल्यून कर एक तरफा रूप से व अवैधानिक रूप से प्राप्त की गई अंतिम डिक्री के आधार पर अपीलान्ट को उसके हिस्से में प्राप्त भूमि जो रोड से लगती हुई 0.69 हैक्टर है से बेदखल कर उक्त आराजी को खुर्द-बुर्द करने व बेचान करने पर आमादा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री अपीलान्ट के हक व अधिकारों के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.01.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.03.2017 निरस्त फरमाए जावें ।
7. अपीलान्ट ने उक्त दोनों अपीलों के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.11.2017 को रेस्पोजेन्ट क्रम 1 व 7 एवं 8 ने कुछ दलालों के साथ अपीलान्ट की आराजी पर आकर उक्त आराजी को बेचान की बातचीत की और अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी जिससे अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.01.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.03.2017 की जानकारी प्राप्त हुई । जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।
8. उक्त दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी जगन्नाथ के खातेदारी में दर्ज थी। जगन्नाथ के अमर लाल, खेमचन्द एवं रामकिशन 03 पुत्र हैं। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने वादग्रस्त आराजी के विभाजन का वाद पेश किया था और वाद तलबी में लम्बित था जिसे अधीनस्थ न्यायालय राजस्व लोक अदालत में रखा गया। राजस्व लोक अदालत ने अपीलान्ट को सूचित किये बिना ही दिनांक 27.01.2016 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी और गलत रूप से मौके के तथ्यों को छुपाकर विभाजन प्रस्ताव प्राप्त दिनांक 10.03.2017 को अंतिम डिक्री पारित कर दी। अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व भी अपीलान्ट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है और न ही मौके पर बुलाया गया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की और न ही व्यवहार प्रक्रिया संहिता की पालना की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.01.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.03.2017 निरस्त फरमाया जावे। उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2016 (1) आर.आर.टी. पेज 87, 2017 (1) आर.आर.टी. पेज 658, 2017 (1) आर.आर.टी. पेज 610 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

10. रेस्पोंडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में पक्षकारों की सहमति के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अंतिम डिक्री जारी की गई है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.01.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.03.2017 बहाल रखे जावें।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है।

12. अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद तलबी में लम्बित था और इसे दिनांक 27.01.2016 को राजस्व लोक अदालत में रखा गया था। राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान द्वारा लिखित में राजीनामा पेश किया गया जिस पर वादीगण और प्रतिवादी क्रम 1 से 4 के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी है। अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 5 के इसमें हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी नहीं है। पत्रावली के साथ जो राजस्व रिकॉर्ड संलग्न किया गया है उसका हमने अवलोकन किया। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 5 का 1/3 हिस्सा निहित था, वादीगण का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 1 से 4 का 1/3 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की है वह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार ही जारी की है जिसमें अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 5 का 1/3 हिस्सा मानते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की है यद्यपि अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 5 अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.01.2016 को उपस्थित नहीं हुए हैं परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उनके हिस्से के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है और अपीलान्ट ने अपील में ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है और न ही कोई ऐसा कथन किया है कि उनका हिस्सा 1/3 से अधिक

नता हो और किन परिस्थितियों में बनता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की है वह विधि सम्मत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री पारित की है उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. प्रस्तुत प्रकरण में जहाँ तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया । विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है यद्यपि उसमें तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं परन्तु तहसीलदार स्वयं मौके पर गये हों ऐसा विभाजन प्रस्ताव से साबित नहीं हो पाया है । पटवारी हल्का ने तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव भिजवाया है । विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने से यह भी प्रमाणित नहीं हो रहा है कि समस्त पक्षकारान, जिसमें अपीलान्ट भी सम्मिलित है को मौके पर बुलाया गया हो । पक्षकारान के हिस्से को पृथक-पृथक दर्शाते हुए भिन्न-भिन्न स्याही से नजरी नक्शा भी तैयार नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट को आपत्ति पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । इस तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं की है जो अनिवार्य है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2017 (1) पेज 658, 2017 (1) आर.आर.टी. पेज 610 अपील में चस्पा होते हैं और अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि करते हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।
14. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 18/235 खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.01.2016 को बहाल रखा जाता है ।
15. अपील अपीलान्ट संख्या 17/601 विरुद्ध अंतिम डिक्री आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 10.03.2017 निरस्त की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार से पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करें । विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।
16. निर्णय आज दिनांक 06.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भगवती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
बड़जलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/235

रामकिशन आत्मज श्री जगन्नाथ जाति लश्करी निवासी ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलाथी

बनाम

1. बद्रीलाल आत्मज श्री अमर लाल ।
2. दशरथ आत्मज श्री अमर लाल ।
3. सुमित्रा बाई पुत्री श्री अमर लाल ।
4. चन्द्रकला बाई पुत्री श्री अमर लाल ।
5. कमलेश बाई पुत्री श्री अमर लाल ।
6. शांति बाई बेवा अमर लाल ।
7. चुन्नी लाल आत्मज श्री अमर लाल ।
8. रामचरण आत्मज श्री खेमचन्द ।
9. लक्ष्मी बाई पुत्री श्री खेमचन्द ।
10. संतरा बाई पुत्री श्री खेमचन्द जाति लश्करी निवासीगण ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.01.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्या: 16/दावा/2016

1. बद्रीलाल आत्मज श्री अमर लाल ।
2. दशरथ आत्मज श्री अमर लाल ।
3. सुमित्रा बाई पुत्री श्री अमर लाल ।
4. चन्द्रकला बाई पुत्री श्री अमर लाल ।

श्री बाई पुत्री श्री अमर लाल ।
श्री बाई बेवा अमर लाल ।

—वादी

बनाम

1. चुन्नी लाल आत्मज श्री अमर लाल ।
2. रामचरण आत्मज श्री खेमचन्द ।
3. लक्ष्मी बाई पुत्री श्री खेमचन्द ।
4. संतरा बाई पुत्री श्री खेमचन्द जाति लश्करी निवासीगण ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. रामकिशन आत्मज श्री जगन्नाथ जाति लश्करी निवासी ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा


—प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात्... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावे ।
2. यह अपील तारीख 06.08.2018 को बहाजरी अपीलान्त की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल एवं रेस्पोंडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्त संख्या 18/235 खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.01.2016 को बहाल रखा जाता है ।
3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं ।

यह डिक्री आज तारीख 06.08.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई ।

मुहर


(भागवती जैठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा